

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-70/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० अमर कुमार, सीनियर रेजिडेन्ट, नेत्र विभाग, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गयाजी के दिनांक-20.05.2016 से 16.10.2017 तक के अवधि को निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

i.	दिनांक-20.05.2016 से 05.08.2017 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में । (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii.	दिनांक-06.08.2017 से 16.10.2017 तक	असाधारण अवकाश के रूप में । (बिहार सेवा संहिता-236)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-70/2025- 760(2) पटना, दिनांक 10/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गयाजी/कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/डा० अमर कुमार, सीनियर रेजिडेन्ट, नेत्र विभाग, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गयाजी/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Wdama K 9/4/26
सरकार के उप सचिव